रजिस्ट्रेशन संख्या :– R.N.I. 36355 / 79
डाक पंजीकरण संख्या :– के पी सिटी– 67 / 2021–23

अधिकार किसको जानने के लिए भारत सरकार की वेबसाइट www.dhr.gov.in लॉगिन कर क्लिक करें अल्टरनेटिव मेडिसिन तथा गज़ट पढ़ने हेतु log in करें www.behm.org.in

चिकित्सा–विज्ञान और प्रौद्योगिक जगत में सर्वाधिक प्रकाशित होने वाला निष्पक्ष समाचार पत्र

नोट–इस अंक में 1 पेज स्पेशल पेजेस के नाम से अलग से है। सम्पादक

पाक्षिक

इलेक्ट्रो होम्यो मेडिकल गज़ट

पत्र व्यवहार हेतु पता :–
सम्पादक
इलेक्ट्रो होम्यो मेडिकल गज़ट
127 / 204 'एस' जूही, कानपुर–208014
सम्पर्क सूत्र :– 9450153215 , 9415074806 , 9415486103

वर्ष – 44 ● अंक – 11 ● कानपुर 1 से 15 जून 2022 ● प्रधान सम्पादक – डा० एम० एच० इदरीसी ● वार्षिक मूल्य ₹ 100

नेशनल मेडिकल कमीश्न ने जारी किया नया फरमान

अब एलोपैथिक डाक्टरों को भी अपने नाम के पूर्व लगाना होगा Med. Dr.

अभी तक IMA खामोश

नेशनल मेडिकल कमीशन अधिनियम 2019 के अधीन **National Medical Commission Registered Medical Practitioner (Professional Conduct) Regulations, 2022** के अनुसार एलोपैथिक चिकित्सकों को अब अपने नाम से पूर्व (Med. Dr.) लिखना होगा, ऐसा जारी विनियमावली प्राविधान किया गया है, विनियमावली के आवश्यक अंश पाठकों की जानकारी हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है:–

PROFESSIONAL CONDUCT OF RMP[s]

1- Duties and responsibilities of the Registered Medical Practitioners :

At the time of making an application for registration under the provisions of the NMC Act, it shall be deemed that the RMP has lead and agreed to abide by these regulations.

2- Prefix, Suffix and Modern Medicine:

[A] *Only those RMP[s] who are registered under NMC Act, 2019, can use Medical Doctor* (Med. Dr.) *as a prefix before their names. Every self employed RMP shall Dysplay the* unique registration I D *assigned to him/her by EMRB in his/her prescription , certificate and money receipts given to patients. Employed RMP shall get a seal made by the employer for displaying the unique registration number below the RMP[s] signatures.*

[B] *The RMP shall display as suffix to his/her name only* NMC *recognized and accredited medical degrees/diplomas as provided in the nomenclature of the regulations and listed on the NMC website.(* List of such Degrees and Diplomas will be on the website and updated regularly) *RMP[s] qualified abroad and seeking registration to practice after clearing* FMGE/NEXT *must use NMC approved equivalent Medical prefixes and suffixes to provide clarity to* patients and the public at large.

[C] *A RMP shall not claim to be clinical specialist unless he/she as NMC recognized training and qualification in that specific branch of modern medicine (* The list of recognized post-graduation and super specialization degrees/ diplomas will be available on the NMC website)

[D] *Every* RMP *shall practice the system of medicine in which he/she has trained and certified* (For this purpose referred to as modern medicine or allopathic medicine) *and shall not associate professionally with any unqualified person to perform any treatment, procedure or operation.*

[E] *A* RMP *shall not employee in connection with his/her professional practice any health care professional who is neither registered nor trained under the relevant Medical Acts in force related to the practice of modern medicine, provided that having employed any other assistance in the practice, the ultimate responsibilities rests on the self employed* RMP *or* RMP *responsible for administration and recruitment in case of hospital practice.*

[F] *A person qualified in more than one system of medicine to decide which system he wants to practice. Once license to practice Modern Medicine under NMC Act, he shall not practice another system of medicine simultaneously. Short courses in other systems of medicine do not qualify a practitioner to practice and prescribe in that system of medicine.*

3- Continuing Professional Development Progarme :

A RMP *Should attend continuing professional development programs regularly each year, totaling at least 30 credit hours every five years. Only recognized medical colleges and health institutions or medical societies accredited or authorised by* EMRB/ State medical Councils *can offer training and credit hours for this purpose. Credit hours awarded shall be updated online against the Unique Registration Number of* RMP *on the* EMRB-NMC *website. Renewal of license to practice should be done every 5 years (* from the publication of gazette notification) *, after submitting documen tations of* CPD credit *hours. The license renewal form will allow updates of details like specialization, place of work, address, contact details, or any other details specified by* EMRB/NMC.RMP[s] *who wish to practise in*

शेष पेज 2 पर

25 नवम्बर, 2003 के पश्चात डिग्री/डिपलोमा जारी करना विधि सम्मत नहीं

भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य अनुसंधान पटल द्वारा जारी 25 नवम्बर, 2003 का आदेश जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी सहित सभी गैर मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धतियों का भविष्य निर्धारित करता है इसी आदेश में स्पष्ट तौर पर राज्य सरकारों को निर्देश दिये गये हैं कि उनके राज्य में संचालित संस्थाओं द्वारा जिन चिकित्सा पद्धतियों को चिकित्सा पद्धति की मान्यता नहीं दी गयी है उनमें डिग्री एवं डिपलोमा जारी न करने दिया जाये तथा मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धतियों के अतिरिक्त किसी को भी Dr. शब्द का प्रयोग करने से रोका जाये।

सरकार के इस आदेश से यह स्पष्ट संदेश मिलता है कि देश के अनेक राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में इलेक्ट्रो होम्योपैथी की संस्थायें संचालित हैं तथा उनमें छात्र अध्ययन तो करते ही हैं अपितु उनको बाकायदा प्रमाण–पत्र भी दिये जाते हैं जिनके आधार पर वे नियमानुसार प्रैक्टिस भी करते हैं, ऐसी संस्थाये विधि सम्मत की श्रेणी में आती हैं।

इन संस्थाओं में अध्ययन करने वाले छात्र प्रथम दृष्टि में तो जानता ही नहीं है कि उसे जो प्रमाण–पत्र (डिग्री/डिपलोमा) प्रदान किया गया है वास्तव में वह विधिसम्मत है या नहीं, इसके आधार पर वह प्रैक्टिस कर सकता है अथवा नहीं, क्या वह अपने नाम के आगे Dr. शब्द का प्रयोग कर सकता है!

जब उसे वास्तविकता का ज्ञान होता है कि जिस संस्थान में उसने अपना कीमती समय व अर्थ खर्च किया है वह संस्थान न तो विधि सम्मत ढंग से संचालित है और न ही उसे डिग्री/डिप्लोमा देने का अधिकार है, ऐसे अनेकों छात्र आपको मिल जायेंगे जो अपने आपको ठगा महसूस कर रहे हैं, यह तथाकथित संस्थायें प्रमाण–पत्र के नाम पर डिग्री/डिपलोमा धड़ल्ले से आज भी जारी कर रहे हैं जोकि नियमतः गैर कानूनी व एक अपराध की श्रेणी में आता है, वास्तव में ऐसी डिग्री व डिप्लोमा लेने वाला एवं देने वाला दोनों ही कानून की निगाह में अपराध कर रहे हैं।

ऐसी संस्थायें पैसा कमाने की होड़ में कभी अपने आपको भारत सरकार से मान्यता प्राप्त बताते हैं तो कभी स्वास्थ्य मंत्रालय से मान्यता प्राप्त का दावा करते हैं, समय–समय पर यह संचालित पाठ्यक्रमों का नामकरण भी अपने मनमाने ढंग से कर लिये करते हैं, कभी–कभी तो बड़ा ही हास्यास्पद तब होता है एक ही नाम के दो प्रमाण–पत्रों में अलग–अलग अर्थ दिखाया जाता है उदाहरणार्थ B.E.M.S. कभी होता है डिपलोमा, तो कभी इसकी उन्नति हो कर B.E.M.S. बन जाती है डिग्री कभी यह केवल एक प्रमाण–पत्र होता है तो कभी यही B.E.M.S. बेसिक बन जाती है, कहने का तात्पर्य यह है कि हमें तो एन–केन धन कमाना है (यहाँ पर एक फिल्मी गाना बहुत सटीक बैठता है मैंने प्यार तुम्ही से किया, मैंने दिल तुम्ही को दिया है अब चाहे जो हो जाये हमें तो धन–धना धन अर्जित करना है)

माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा रिट याचिका संख्या – 4015/98 दिनांक 18 नवम्बर, 1998 को जारी आदेश में निर्देश दिया है कि कोई भी संस्था डिग्री नहीं जारी करेगी, इस निर्देश में स्पष्ट होता है कि संस्थायें अपना कार्य पूर्ण–रूपेण करेंगी तथा डिग्री छोड़कर डिपलोमा / प्रमाण–पत्र जारी कर सकेंगी डिग्री जारी करने वाली संस्थायें यह बिलकुल नहीं समझ सकी कि यह आदेश न्यायालय का निर्देश है, इसका अनुपालन सरकार को करना है तथा सम्बंधितों को कराना है, संस्थायें माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के विपरीत डिग्री जारी करती रही और समय समय पर इस सम्बंध में स्पष्टीकरण (सरकार को नहीं अपितु जनता को) भी देती रही, परिणाम यह हुआ कि _____

माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य अनुसंधान पटल द्वारा उच्च स्तरीय जाँच समिति की अनुशंसा पर दिनांक 25 नवम्बर, 2003 को जो आदेश जारी किया गया उसमें डिग्री के साथ डिपलोमा जारी करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया तथा राज्य सरकारों सहित केन्द्र शासित प्रदेशों को भी इस बार निर्देशित किया गया कि उनके राज्य/क्षेत्र में संचालित संस्थाओं द्वारा डिग्री/डिपलोमा न जारी होने पायें तथा इस आदेश का व्यापक स्तर पर प्रचार भी किया जाये, सरकार के इस आदेश का परिणाम यह हुआ कि तत्कालीन देश में इलेक्ट्रो होम्योपैथों में हताशा व निराशा व्याप्त हो गयी, जबकि इस आदेश में हताशा व निराशा की ऐसी कोई बात है ही नहीं, 25 नवम्बर, 2003 का आदेश इलेक्ट्रो होम्योपैथी, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान के लिये दिशा निर्देश है, इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति की मान्यता के पूर्व की यह पूर्ण स्थिति है, यह आदेश जहां इलेक्ट्रो होम्योपैथिक शैक्षिक संस्थाओं को डिग्री/डिपलोमा जारी करने से रोकता है वहीं विधि द्वारा स्थापित राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं,मानद विश्वविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों को भी डिग्री/डिपलोमा जारी करने की अनुमति नहीं देता है।

अब एलोपैथिक डाक्टरों को भी

प्रथम पेज से आगे

practice in that State. State will have to mandatorily provide license to practice charging appropriate fee within 7 days.

4- *Right to remuneration of A RMP:*

Consultation fee should be made known to the patient before examination or treatment of the patient. A reasonable estimation of the cost of Surgery of Treatment should be provided to the patient to enable and informed decision. A RMP can refuse to continue to treat a patient if the fee as indicated or not paid. This does not apply to doctors in Government service or emergencies and the doctor must ensure that the patient is not abandoned.

5- Prohibiting Soliciting of Patient:

RMP Shall not solicit patient directly or indirectly or as a part of the group of RMP[s] , or institutions or organizations or hospitals or nursing homes or corporate hospitals established , owned, controlled or maintained by the appropriate Government, local authority, trust wether private or public, corporation, cooperative society, organization or any other entity or person.

6- Prescribing Generic Medicine :

Every RMP is expected to prescribe drugs using Generic names written legibly and prescribe drugs rationally, abiding unnecessary medications and irrational fixed dose , combination tablets.

7- Prohibition of Fee splitting/commissions :

RMP shall not directly or indirectly participate in any act of division, transfer, assignment, subordination, debating, splitting or refunding of any fee for diagnostic, scanning, medical, surgical or other treatment. These provisions shall apply with equal force to referring, recommencing or procuring by RMP of any patient, specimen or material for diagnostic purposes or other studies/work. How ever nothing in this section shall prohibit payment of salaries by a qualified RMP to another duly qualified person rendering medical care under his/her supervision. RMP Shall not use online forums or agents for preparing patients.

8- Prohibition of endorsement of the product or a person :

[A] *RMP individually or as part of an organization/ association / society shall not give to any person or to any companies or to any products or to software / platform, weather for compensation or otherwise, any approval, recommendation, endorsement, certificate, report or statement concerning any drug, medicine, nostrum remedy, surgical or therapeutic article, apparatus or appliance or any commercial product or article with respect to any property, quality or use thereof or any trust, demonstration or trial thereof for use in connection with his name, signature or photograph in any form or minor of advertising through any mode nor shall be boast of cases, operations, cures or remedies or permit the publication of report thereof through any more.*

[B] *RMP shall not issue certificates of proficiency in modern medicine to un qualified or non medical persons. This does not restrict the proper training and instruction of bonafide students, mid-wife , dispensers, surgical attendants or skilled mechanical or technical assistant and therapy assistants under the personal supervision of RMP[s] . Every certificate must contain the details regarding experience, skills and competence obtained , duration of training and kind of work done during training. The onus of the veracity of the certificates lies with the RMP.*

9- Restriction on Advertisement :

[A] *RMP is permitted to make a formal announcement any media (print, electronic or social) within 3 months regarding the following :-*

(a) On starting practice
(b) On change of type of practice
(c) On changing address
(d) On temporary absence from duty
(e) On resumption of practice
(f) On succeeding to another practice
(g) Public declaration of charges

[B] *RMP or any other person including corporate hospitals, running a maternity home, nursing home, private hospital, rehabilitation center or any type of medical training institution etc. may place announcements in lay press, but these should not contain anything more than the name of the institution, type of patients admitted, kind of training and other facilities offered and the fees.*

[C] *RMP is allowed* to do public education through media without soliciting patients for himself or the institution.

Continued on Page 3

Continued from Page 2

10- Responsibility of RMP regarding the sale of drugs :

[A] A RMP *shall not run an open shop to sale medicine prescribed by* RMP's *other than himself or for the sale of medical or surgical appliances. They are allowed to sale medication to his/her own patients..*

[B] A RMP *can prescribe or supply drugs, remedies or appliances as long as there is no exploitation of the patient. Drugs prescribed by a* RMP *or bought from the pharmacy for a patient should explicitly state the generic name of the drug.*

[C] A RMP *shall not dispense or prescribe secret remedial agents of which he does not know the composition or action in the body. The manufacture or promotion or use of these remedies is prohibited.*

11- Responsibility of RMP regarding Medical Records :

[A] Every self-employed RMP shall maintain medical records of patients (outpatients or inpatients) for 3 years from the date of the last contact with the patient for treatment, in a standard proforma led down by the NMC.

[B] If any request is made for medical records to a RMP responsible for patient records in a hospital or health care institution either by the patients/authorized attendant or legal authorities involved , the same may be duly acknowledged and documents shall be supplied within 5 working days.

[C] In case of medical emergencies, the medical records should be made available on the same day.

[D] Efforts shall be made to computerize patient's medical records for quick retrieval and security. Within 3 years from the date of publication of the regulations, the RMP shall fully digitized records, abiding by the provisions of the IT Act. Data protection and privacy laws, or any other applicable laws, rules and regulations notified from time to time for protecting the privacy of patient data.

[E] RMP' are in certain cases bound by law to give or may from time to time be called upon to give certificates, notifications, reports and other documents of similar character, signed by them in their professional capacity for subsequent use in the courts or administrative or other purposes. Such reports, certificates or documents should not be untrue, misleading or improper. A self-employed RMP shall maintain a Register giving full details of such certificates issued by him/her.

12- A RMP shall cooperate in the investigation against in competent, corrupt or dishonest conduct of other members of the profession without fear and favour.

13- The RMP shall not aid or abet torture, nor shall be a party to either infliction of mental or physical trauma or concealment of torture inflected by another person or agency in clear violation of human rights.

14- Practicing euthanasia shall constitute unethical conduct. However, in some instances , the question of withdrawing life-supporting devices or measures even after brain death shall be decided following the provisions of the transplantation of Human Organ Act. 1994.

15- The RMP should respect the boundaries of the doctor-patient relationship and not exploit the patient for personal, social and business reasons and in particular, avoid sexual boundary violations.

16- RMP shall not refuse on religious grounds alone to assist in or conduct of sterility, birth control, circumcision and medical termination of Pregnancy when there is a medical indication.

17- Informed Consent :

[A] Before performing any clinical procedure, diagnostic or therapeutic or operation, the RMP should obtain the documented informed consent of the patient. In case the patient is unable to give consent, the consent of the legal guardian or family member must be taken. The name of the operating surgeon must be mentioned in the medical record. In an operation that may result in sterility, the consent of both husband and wife is required. In case of emergency, the doctor should try to obtain consent, but if this is not possible, he must act in the best interest of the patient. The medical records should describe the basis of deaccessions taken in an emergency. No act of in-vitro fertilization or artificial insemination shall be under taken without the informed written consent of the female patient and her spouse as well as the donor.

[B] A RMP shall not publish photographs or case reports of patients without their permission in any medical or another journal in a manner by which their identity could be revealed.

[C] Clinical drug trials or other research involving patients or volunteers must comply with ICMR guidelines and the New Drugs and Clinical Trails Rules 2018. Consent taken from the patient or participants for the trial of drug or therapy wich is not as per the guidelines shall also be construed as misconduct.

18- Conduct of RMP on Social / Electronic and Print Media shall follow the prescribed guidelines.

19- RMP should take due care in practise and exercise reasonable skills as expected, to preseve the life and health of the patient and follow the guidelines.

परीक्षा सूचना

बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 की जून 2022 की सेमेस्टर परीक्षायें 28 जून, 2022 से प्रारम्भ होंगी, यह जानकारी बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथक मेडिसिन उ0प्र0 के रजिस्ट्रार डा0 अतीक अहमद ने दी, उन्होंने बताया कि परीक्षा कार्यक्रम शीघ्र ही बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड किया जायेगा।

बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0

भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के आदेश दिनांक 25 नवम्बर, 2003 के जारी होने के पश्चात निरन्तर

समय–समय पर इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों एवं शैक्षिक संस्थाओ को एडवाइज़री जारी करता रहा है

बोर्ड ने अनेक बार चिकित्सकों को अपने नाम के पूर्व

EH Dr.

तथा नाम के पश्चात अपनी अधिकृत अर्हता लिखने के निर्देश भी दिये हैं तथा संस्थाओं से अपेक्षा की है कि वे सरकार के आदेश का अनुपालन करते हुये डिग्री/डिपलोमा जारी न करें

दिनांक 1 मई, 2019 को प्रकाशित लेख इसकी एक बानगी है

(3) | इलेक्ट्रो होम्यो मेडिकल गज़ट | कानपुर 1 से 15 मई 2019

इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक E.H.Dr. लिखें – डा0 अतीक अहमद

बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 का 45 वाँ स्थापना दिवस समारोह बड़े ही हर्षोल्लास पूर्वक सम्पन्न हुआ, इस अवसर पर बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 के रजिस्ट्रार डा0 अतीक अहमद ने B.E.M.S. डिग्री प्रमाण पत्र पर IDC की प्रतिक्रया पर चिन्ता व्यक्त की, इससे पूर्व माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा भी 18 नवम्बर, 1998 को एक जनहित याचिका संख्या 4015/96 में केन्द्र सहित सभी राज्य सरकारों को इलेक्ट्रो होम्योपैथी की समस्या के समाधान के लिए कानून बनाने के लिए निर्देश दिये थे, इसमें यह भी निर्देशित किया गया था कि Respondents 10 to 16 and the like institutes shall not award any degree for the courses conducted by them. जबकि सरकार द्वारा कानून बनाने में कोई रुचि नहीं दिखायी गयी, एक अन्य वाद में केन्द्र सरकार द्वारा अपील की गयी थी जिसमें सुनवाई के दौरान कोर्ट ने जनहित याचिका में दिये गये आदेश को गम्भीरता से लिया, केन्द्र सरकार ने माननीय सुप्रीमकोर्ट के निर्देश का पालन करने हेतु एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन भी किया जिसने माननीय न्यायालय के कानून बनाने के निर्देशों की अनदेखी करते हुए मान्यता हेतु लम्बित प्रस्तावों को प्राथमिकता देते हुए समिति की संतुतियों को स्वीकार कर 25 नवम्बर, 2003 को एक आदेश जारी किया जिसने राज्य सरकारों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों को निर्देशित किया कि गैर मान्यता प्राप्त पद्धतियों को बैचलर व मास्टर डिग्री/डिपलोमा देने से रोका जाये तथा डा0 शब्द का प्रयोग केवल मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धतियों के चिकित्सकों द्वारा ही किया जाये, सरकार के इस आदेश का व्यापक स्तर पर प्रचार किया जाये इस आदेश का सम्मान करते हुए बोर्ड ने अपने डिपलोमा पाठ्यक्रमों को सार्टिफिकेट में परिवर्तित किया तथा चिकित्सकों को निर्देशित किया कि वह Dr. शब्द के बजाय E.H.Dr. लिखें, इसी समय माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में अवमाननावाद संख्या 820/2002 राजेश

उ0प्र0 व अन्य लम्बित था जिसमें चिकित्सा संस्थानों एवं चिकित्सकों को अनिवार्य रूप से शासन/मुख्य चिकित्साधिकारी के यहा पंजीयन कराना था।

प्रदेश में लगभग सभी इलेक्ट्रो होम्योपैथी के संस्थानों में उहापोह की स्थिति पैदा हो गयी थी जिसके कारण बिना सोचे

बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ.प्र. के 45वें स्थापना दिवस पर डा. मिथलेश कुमार मिश्र O.S.D. डा. श्रीमती शाहीना इदरीसी को माल्यार्पण करते हुये

दर्जनों की संख्या में याचिकायें उच्च न्यायालय में योजित की गयी जिसमे बोर्ड की याचिका को छोड़कर शेष सभी याचिकायें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गयी जिसमें एक केस ऐसा रिपोर्टेड हुआ जिसका दुष्प्रभाव अन्य राज्यों मे भी पड़ा इस तरह उत्तर प्रदेश की समस्या पूरे देश की समस्या बन गयी, केन्द्र के इस 25 नवम्बर, 2003 के आदेश के सन्दर्भ में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भारत सरकार को निर्देश दिये गये जिसके परिणाम स्वरूप 21 जून, 2011 के आदेश का उदय हुआ जो आज इलेक्ट्रो होम्योपैथी के विकास की रीढ़ है।

बोर्ड द्वारा एक लम्बे अन्तराल के बाद 27 अप्रैल, 2014 को उ0प्र0 की राजधानी लखनऊ के राय उमानाथ बली प्रेक्षागृह, कैसरबाग में अपना 40 वाँ स्थापना दिवस समारोह भव्यता के साथ मनाने का निश्चय किया गया इस अवसर पर एक प्रास्प्रेक्टस का विमोचन भी किया गया था काफी समय बाद

वरिष्ठ इलेक्ट्रो होम्योपैथ एवं संस्था प्रमुख उपस्थित हुए इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में डा0 अनीस अन्सारी कुलपति ख्वाजा गरीब नवाज़ उर्दू अरबी फारसी विश्वविद्यालय लखनऊ की गौरवमयी उपस्थिति रही, इस अवसर पर कुछ संकल्प लिये गये जिसे घोषणापत्र के रूप में प्रकाशित भी किया गया था तथा यह भी निश्चय किया गया कि हर दो वर्ष में स्थापना दिवस समारोह के रूप में मनाया जायेगा।

विगत स्थापना दिवस समारोह 25 अप्रैल, 2016 को गंगाप्रसाद मेमोरियल हॉल क

अमीनाबाद, लखनऊ में आयोजित किया गया जिसमें उ0प्र0 सरकार के मंत्री माननीय राम आसरे कुशवाहा मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए इस अवसर पर इलेक्ट्रो होम्योपैथी के विकास मे महत्वपूर्ण योगदान देने वाले सम्बद्ध संस्थानो आशीष इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल इन्सटीट्यूट– रायबरेली,

होम्योपैथिक मेडिकल इन्स्टीट्यूट– लखीमपुर तथा पीद पार इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल इन्स्टीट्यूट–आज़मगढ़ को सम्मानित किया गया, इसी अवसर पर इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक जागरूकता अभियान के नायक श्री प्रमोद शंकर बाजपेयी जी (स्मृतिशेष) को भी इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मनीषी अंलकरण से विभूषित किया गया था, इलेक्ट्रो होम्योपैथी की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए बोर्ड सतत् प्रयासरत रहता है बोर्ड ने G. E. H. S. तथा P.G.E.H. के दो नये पाठ्यक्रमों का लोकार्पण अपने 43 वें स्थापना दिवस के

सहित सभी संस्थानो/अध्ययनकेन्द्रो में किया। बोर्ड एक नियमित निकाय है जिसका प्रबन्ध एक प्रबन्ध कमेटी द्वारा किया जाता है जिसमें 4 सदस्यों का चयन चिकित्सा क्षेत्र के सम्भ्रान्त व्यक्तियों से, 2 सदस्यों का चयन बोर्ड द्वारा सम्बद्ध सस्थानों के शिक्षकों से तथा 3 सदस्यों का चयन बोर्ड द्वारा पंजीकृत चिकित्सकों से किया जाता है, प्रबन्ध कमेटी के अधीन शिक्षा समिति, परीक्षा समिति तथा पंजीयन समिति नियमित रूप से कार्य करती है।

गत वर्ष 21 अप्रैल 2018 को नई दिल्ली स्थित एवान–ए–गालिब हाल ,माता सुन्दरी रोड(कम्बाईंड काउन्सिल भवन) में 44 स्थापना दिवस बड़ी भव्यता के साथ मनाया गया था जिसमें केन्द्र सरकार से सेवा निवृत्त सहायक निदेशक डा0 डी0 डी0 जेना मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए थे।

भारत सरकार द्वारा इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मान्यता के लिए 28 फरवरी, 2017 को एक नोटिस जारी किया गया था जिसमें 7 बिन्दुओं पर जानकारी चाही गयी थी इसमें पाठ्यक्रम को प्रमुखत: दी गयी, बोर्ड ने सरकार द्वारा जारी नोटिस पर कोई कार्यवाही न करने का निश्चय किया क्योंकि भारत सरकार ने 21 जून, 2011 के आदेश में चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान की स्थिति स्पष्ट कर दी है तथा उत्तर प्रदेश शासन द्वारा भी बोर्ड के पक्ष में 4 जनवरी, 2012 का आदेश है, जिसके अनुपालन हेतु महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थय सेवाये उ0प्र0 ने अपने आदेश दिनांक 2–9–2013 एवं 14–3– 2016 द्वारा समस्त अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उ0प्र0 तथा समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी उ0प्र0 को अनुपालन हेतु निर्देशित किया है, भारत सरकार द्वारा दिनांक 19 मार्च, 2018 को जारी 09–01–2018 की बैठक की कार्यवाही जो मान्यता के प्रपोजलों के निष्कर्ष में जारी की गयी है, से संकेत मिलता है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी को वैज्ञानिक आधार पर, कार्य के आकड़ों की जानकारी अनिवार्य हो गयी है,

बी0ई0एच0एम0 के लिए डा0 अतीक अहमद द्वारा गजट प्रेस 126 टी/22 'ए' रामलाल का तालाब, जूही, कानपुर–208014 से मुद्रित एवं मिथलेश कुमार मिश्रा द्वारा कम्प्यूटराइज्ड करा कर 9/1 पीली कालोनी, जूही, कानपुर–208014 से प्रकाशित किया।